

UPKS060004172022



**न्यायालय सिविल जज( क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II , कौशाम्बी**  
**उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)**  
**मूल वाद संख्या- 110/2004**

चुन्नूलाल उम्र लगभग 38 वर्ष पुत्र स्व 0 कन्हईलाल निवासी ग्राम सैय्यद संरावा परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी।

... .. वादी

बनाम

- |  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1. राममूरत उम्र लगभग 50 वर्ष   | } |                 |
| 2 शिवमूरत उम्र लगभग 47 वर्ष  | } | पुत्रगण राजाराम |
| 3. सतीश चन्द्र लगभग 30 वर्ष  | } |                 |
| 4 राजाराम उम्र लगभग 36 वर्ष पुत्र जवाहिर (मृतक)  |   |                 |
| 4/1 श्रीमती रामसखी पत्नी स्व. राजाराम उम्र 85 साल निवासीगण ग्राम सैय्यद संरावा, हा० मु० महमूदपुर मनौरी, परगना व तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी। |   |                 |
| ... .. प्रतिवादीगण   |   |                 |

**—:निर्णय:—**

01. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।
02. वादी का वाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व० कन्हईलाल ने दिनांक 22.02.1991 को विवादित भवन जिसका सम्पूर्ण विवरण वादपत्र के अन्त में तहसील आराजी में दिया गया है, को जरिये पंजीकृत बैनामा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से कच्चा भवन गिरी हालत में मु० तीन हजार रूपया नकद देकर क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 26.07.1993 को प्रति पुस्तक सं०-1 के पृष्ठ सं०-49 लगायत 58 बही नं०-295 पर उपनिबन्धक चायल, इलाहाबाद के यहाँ हुई थी और बैनामे के दिनांक से विक्रेतागण उपरोक्त कच्चे खण्डहर मकान से अपना कब्जा व दखल हटाकर वादी के पिता स्व० कन्हईलाल को काबिज करा दिया था।
03. वादी के पिता ने उपरोक्त कच्चे खण्डहर मकान को गिराकर उसके स्थान पर पक्का मकान वर्तमान बनवाया था, जिसको अपने जीवन पर्यन्त स्व० कन्हईलाल बतौर स्वामी व

मालिकाना हक रखते हुये काबिज दखील व उपयोग उपभोग करते थे। विवादित भवन का विस्तृत विवरण वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दिया गया है, जिसे अक्षर अ, ब, स, द शब्द से प्रदर्शित किया गया है। विवादित भवन से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता व सरोकार कब्जा व दखल बैनामे के दिनांक 22.02.1991 से लेकर आज तक नहीं रहा है।

**04.** वादी उपरोक्त भवन में पी०सी०ओ० एवं किताब कापी की दुकान करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण विवादित भवन जिसे अक्षर अ, ब, स, द शब्द से प्रदर्शित किया गया है, पर जबरिया कब्जा करने एवं वादी की दुकान को बन्द करने की धमकी दे रहे हैं। वादी का यह भी कथन है कि वादी दिनांक 22.02.1991 से लेकर आज तक उपरोक्त भवन पर बराबर काबिज दखील उपयोग व उपभोग मालिकाना हक करता चला आ रहा है। अतएव प्रतिवादीगण उपरोक्त भवन के बाबत अब कोई दावेदारी करने से मस्ला स्टापेल से बाधित है। प्रतिवादीगण एवं उनके मेली मददगार व सहयोगी दिनांक 12.08.2004 को असलहों से लैश होकर वादी की दुकान पर आये और वादी के दुकान का सामान फेकने पर आमादा हुये उसी समय वादी एवं प्रतिवादीगण से वाद विवाद होने लगा, जिससे अगल-बगल के लोग इक्ड्हा हो गये और बीच बचाव किया। वादी ने इसकी सूचना वादी ने इलाका थाना में देने गया किन्तु वहाँ पर थाने वालों ने यह कहकर वापस कर दिया कि यह मामला भवन से सम्बन्धित है, अतएव बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के हमलोग इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। अतः जरूरत नालिश हाजा की उत्पन्न हुई। वादी ने दिनांक 12.08.2004 को उपरोक्त घटना की सूचना उपजिलाधिकारी चायल को दिया, जिसमें उन्होंने इलाका थाना को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया है। लेकिन थाने से कोई उचित कार्यवाही होने पर वादी को मजबूर होकर दावा हाजा दाखिल करना पड़ रहा है। वादी विवादित भवन हरूफ निशानी अ, ब, स, द का पूर्ण विधिक स्वामी है और न्यायिक तुला का भार वादी के पक्ष में है। अतएव वादी मुस्तहक है कि जरिये हुकुम इम्तेनाई दवामी प्रतिवादीगण व उनके मेली मददगार सहयोगियों वर्जित करा दे कि वे लोग विवादित भवन उपरोक्त में वादी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल उपयोग व उपभोग में कोई हस्तक्षेप उत्पन्न न करें और न ही वादी को अवैध ढंग से बजोर बेदखल करें।

**05.** वाद का कारण दिनांक 12.08.2004 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा अपने सहयोगी एवं मददगारों के साथ असलहे से लैश होकर वादी को विवादित भवन हरूफ निशानी अ, ब, स, द से बेदखल करने पर आमादा हुये और जबरिया कब्जा करने की धमकी दिया गया। वादी द्वारा जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जा दखल हस्तक्षेप न करने एवं वादी को जबरिया उक्त सम्पत्ति भवन से अवैधानिक ढंग से बेदखल न किये जाने की याचना की गयी है।

**06.** प्रतिवादीगण की ओर से अपना जबावदावा कागज संख्या 21 क दाखिल कर वादपत्र के अभिकथनों का खण्डन किया गया और अतिरिक्त कथन किया गया कि हसनैन अमीर पुत्र अली अमीर ने अराजियात नम्बर 2027, 2028, 2029, 2030 स्थित मौजा सैय्यद सरांव

परगना व तहसील चायल जिला कौशाम्बी में जुज रकबा 3 बिस्वा दिनांक 08.05.1990 को बहक प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के हक पंजीकृत बैनामा कर दिया और काबिज व दखील कर दिया तब से प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 बहसियत मालिक काबिज चला आ रहा है।

07. प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने आराजी नं0-2027 में 16x32 यानी 57 वर्ग गज भूमि बहक वादी ने पिता कंधईलाल पुत्र हजारी लाल दिनांक 22.02.1991 को बजरिये पंजीकृत बैनामा विक्रीत कर दिया और तब से प्रतिवादी 1 लगायत 3 की खाली जमीन पड़ी है। भूमि संख्या-2246 जो प्रतिवादी संख्या-4 की तनहा सम्पत्ति है और जिस पर प्रतिवादी सं0-4 ने निजी आमदनी से 6 के दुकान का निर्माण कराया और जिसमें दो दुकानों में वादी बतौर किरायदार आबाद है और उन 6 दुकानों के पीछे जुज भूमि पर खपरैल का मकान है, जिसमें एक मिठाई का दुकानदार रहता है, शेष खाली भूमि है। वादी ने गलत ढंग से यह तहरीर किया कि वादी भूमि सं0-2027 में खरीदी हुई भूमि 16 x 32 में दुकान का निर्माण करके काबिज है पी.सी.ओ व किताब कापी की दुकान करता है। दरअसल वादी को कोई अधिकार प्रतिवादी सं0-4 के बने हुये दुकान जिसमें वह किरायादार है, दावा दाखिल करने पर कोई हक हासिल नहीं है और न वादी किसी भी अनुतोष को पाने का अधिकारी है। वादी ने प्रस्तुत दावा प्रतिवादी संख्या-4 को गलत ढंग से फरीक बनाकर दाखिल किया है, जो पोषणीय नहीं है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने कभी दिनांक-12.08.2004 को वादी को धमकी नहीं दिया और न वादी के दुकान पर सामान फेंका। वादी जिस दुकान में बतौर किरायेदार काबिज है, उसको न वादी के पिता कंधईलाल ने खरीदा और न ही वादी या वादी के पिता ने दुकान का निर्माण कराया है। वादी ने महज गलत तथ्य दिखलाकर तथा गलत बयान कराके दावा प्रस्तुत कर दिया है। वादी का उन दुकानों पर मालिकाना हक हासिल नहीं है। इस आधार पर वादी का दावा पोषणीय नहीं है और वादी किसी अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है। वादी के पिता कंधईलाल के चार पुत्र है और वादी ने तनहा कंधईलाल के सम्पत्ति में दावा पेश किया जो गलत और गैर कानूनी है और इसलिये इस आधार पर दावा पोषणीय नहीं है और दावा में मिस ज्याइन्डर आफ पार्टीज का दोष निहित है। दावा दफा 34/41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है। वादी दिनांक 22.02.1991 से लेकर विवादित भवन पर उपयोग व उपभोग व हम मालिकाना प्रतिवादीगण काबिज दाखिल चला आ रहा है और अब कोई दावेदारी करने से बाधित है और दावा इस्टापेल से बाधित है, सरासर गलत है दरअसल वादी प्रतिवादी सं0-4 के जमीन पर तथा उसके द्वारा बनाई दुकान पर बतौर किरायादार काबिज है। इसलिये उनको कोई अधिकार मालिकाना जरिये एडवर्स पजेशन हासिल नहीं हुआ। लिहाजा वादी किसी भी अनुतोष के इस आधार पर मुश्तहक नहीं है। वादी ने विवादित भवन पर मूल्यांकन सही नहीं किया है और न्यायशुल्क कम अदा किया है। वादी ने जो नक्शा नजरी वादपत्र के साथ संलग्न किया है, वह मौके के लिहाज से सही नहीं है। प्रतिवादीगण याचना की गयी कि दावा वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

08. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 03.02.2012 को विरचित किये गये:-

01. क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति अक्षर अ, ब, स, द का स्वामी व काबिज दखील है?
- 02- क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन व न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
- 03- क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधान से बाधित है ?
- 04- क्या वादी प्रतिवादी से धारा-35 अ सी.पी.सी. के अन्तर्गत विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?
- 05- क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

09. वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 4 क से बैनामा दिनांकित-22.02.1991 की मूल प्रति कागज संख्या-4 क/2 ता 4 क/6 एवं सूची 129 ग से सत्यापित प्रति चकबन्दी अधिकारी की आख्या दिनांकित-19.04.2017, रिपोर्ट थाना चरवा दिनांकित 16.01.2017 एवं खतौनी फसली सन् 1409 लगायत 1414 दाखिल किया गया है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी०डब्लू०-1 चुन्नूलाल का साक्ष्य शपथपत्र-49 क, पी०डब्लू०-2 वेद प्रकाश का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं०-50 क व पी०डब्लू०-3 रामसिंह का साक्ष्य शपथपत्र कागज सं०-51 क दाखिल किया गया है तथा पी०डब्लू०-1 चुन्नूलाल, पी०डब्लू०-2 वेद प्रकाश व पी०डब्लू०-3 रामसिंह से प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

10. प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 127 ग से नकल खतौनी गाटा संख्या-2246 की मूल प्रति व नकल बैनामा दिनांकित 08.05.1990 की मूल प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू०-1 सतीश चन्द्र का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-120 क, डी०डब्लू०-2 जगजीत सिंह का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-122 क व डी०डब्लू०-3 कृष्ण कुमार का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-121 क दाखिल किया गया है तथा डी०डब्लू०-1 सतीश चन्द्र, डी०डब्लू०-2 जगजीत सिंह व डी०डब्लू०-3 कृष्ण कुमार से वादी द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी है।

11. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

**:- निष्कर्ष:-**

**निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 01-**

12. वाद बिन्दु संख्या-01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति अक्षर अ, ब, स, द का स्वामी व काबिज दखील है?

13. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादी के पिता को वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादी संख्या-01 लगायत 03 से जरिए बैनामा दिनांकित-22.02.1991 से प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी पी०सी०ओ० एवं

कापी किताब की दुकान चलाता है। वादी के अलावा विवादित भूमि पर अन्य किसी व्यक्ति से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है न ही किसी और का कब्जा व दखल है।

14. प्रतिवादीगण द्वारा वाद कथानक से इंकार करते हुए कथन किया गया है कि, प्रतिवादी संख्या-01 ता 03 के हक में हसनैन अमीर ने आराजी संख्या-2027, 2028, 2029, 2030 का जुज भाग का बैनामा दिनांक-08.05.1990 को कर दिया था। प्रतिवादीगण ने आराजी संख्या-2027 में 16X32 यानी 57 वर्गज भूमि वादी ने पिता कंधईलाल पुत्र हजारी लाल दिनांक 22.02.1991 को बजरिये पंजीकृत बैनामा विक्रय कर दिया। वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादी का कोई कब्जा व दखल नहीं है।

15. प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा विक्रीत सम्पत्ति को आराजी भूमि बताया गया है, किन्तु इस संबन्ध में वादी द्वारा वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में आराजी संख्या का वर्णन नहीं किया है और न ही कोई खसरा खतौनी दाखिल किया है और न ही वादी द्वारा वादपत्र में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि प्रश्नगत भूमि की आराजी संख्या क्या है? इस सम्बन्ध में वादी द्वारा पी०डब्लू०-1 के रूप में स्वयं को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू०-1 वादी चुन्नूलाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया है कि आराजी संख्या 2027 व 2246 इन दोनों के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यहाँ वादी स्वयं भ्रमपूर्ण स्थिति में है कि विवादित भूमि किस भूखण्ड संख्या में है, इसको स्पष्टीकृत करने के लिये वादी ने सर्वे के सम्बन्ध में भी कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया है। वादग्रस्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित भूखण्ड में निर्माण प्रतिवादीगण का है और वादी किरायेदार है। वादी द्वारा अपने मौखिक बहस में कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण ने किरायेदारी के संबन्ध में कोई दस्तावेज व रसीद दाखिल नहीं किया है। किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण समाज में किराये पर देने के लिये रसीद देने का चलन आवश्यक नहीं है और चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में किरायेदारी का विवाद नहीं है इसलिये इस सम्बन्ध में बहुत तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया जाना समीचीन नहीं होगा।

16. पी०डब्लू०-1 के रूप में परीक्षित वादी चुन्नूलाल द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया गया है कि हम पाँच भाई थे। एक भाई खत्म हो चुके है, जिनके नाम है स्व० फूलचन्द्र, चुन्नूलाल, सुग्रीव कुमार, मूलचन्द्र, अनिल कुमार। फूलचन्द्र दिनांक 10.10.2015 को मरे थे। मेरे पिता जी खत्म हो चुके हैं। मां जिन्दा है। सभी भाई गाँव में रहते हैं। फूलचन्द्र रेलवे में थे। बैनामा राममूरत, शिवमूरत व सतीश ने किया था। इस बैनामें की जानकारी मुझे तब से है, जब से पिताजी ने रजिस्ट्री करायी थी। विवादित सम्पत्ति में सभी भाईयों का हिस्सा नहीं है बल्कि मेरा अकेला है। पी०डब्लू०-2 के रूप में परीक्षित वेद प्रकाश ने प्रतिपरीक्षा में अभिकथन किया है कि कंधईलाल जो वादी के पिता हैं, वादी के पिता कंधईलाल के कुल पांच लडके हैं। विवादित सम्पत्ति वादी चुन्नूलाल को मिली है। चुन्नूलाल को सम्पत्ति उनके पिता से मिली चुन्नूलाल के सभी भाई सहमत थे, जिस कारण से चुन्नूलाल को यह सम्पत्ति पिताजी से मिली थी। यहाँ यह विचारणीय बिन्दु है कि वादी के द्वारा वादग्रस्त

सम्पत्ति को स्वयं की भूमि बतायी गयी है, किन्तु इस सम्बन्ध में वादी के द्वारा न तो कोई आपसी पारिवारिक समझौता के सम्बन्ध कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया गया है और न ही भाईयों को पक्षकार ही बनाया गया है।

17. वादी के द्वारा अपने वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति को आराजी भूमि के रूप में दर्शायी गयी है, जिसकी चौहद्दी पूरब मकान हारून मियां, पश्चिम जमीन प्रतिवादीगण एवं मकान, उत्तर सेहन भूमि वादहू सड़क चरवा मनौरी मार्ग, दक्षिण बाग व मकान दूसरे का अंकित किया गया है, किन्तु इस सम्बन्ध में वादी द्वारा वादपत्र के किसी भी प्रस्तर में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि वादग्रस्त आराजी को वादी द्वारा आबादी वाली भूमि के रूप में उद्घोषणा करायी गयी है।

18. वादी के द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०-02 वेद प्रकाश ने अभिकथन किया है कि मैंने आराजी संख्या-2027 को देखा है। मैं उसकी चौहद्दी भी जानता हूँ। पूरब तरफ हारून का मकान है। उक्त साक्षी ने फिर कहा कि मैं आराजी संख्या-2027 को नहीं जानता हूँ। मैं आराजी संख्या-2246 को जानता हूँ। पी०डब्लू०-03 राम सिंह द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभिकथन किया गया है कि मैं विवादित सम्पत्ति को जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि यह विवादित सम्पत्ति आराजी संख्या-2246 में बनी है। दो दुकानें चुन्नूलाल की है। शेष दुकानें बनिया की है, नाम नहीं जानता हूँ। दुकाने पहले इनके पिता ने बनवाया है, फिर चुन्नूलाल ने खोला है। मुझे नहीं पता कि यह सम्पत्ति चुन्नूलाल के पिता को कैसे मिली थी। उपरोक्त दोनों साक्षियों ने ऐसा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि जिससे वादी के वाद कथानक का समर्थन हो। उपरोक्त कथनों से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण दिग्भ्रमित हैं।

19. वादी द्वारा अपने सम्पूर्ण कथानक के सम्बन्ध में निम्न विधि निर्णय प्रस्तुत किया गया है :-

1- **Dharmakanny Nadar Siveshamuthu and other vs Mahalingam Nadar Gopala Nadar and other Second Appeal No. 352 of 1960** उक्त विधिनिर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि:-

“Ordinarily when a piece of land is sold with definite boundaries, unless it is very clear from the circumstances surrounding the sale that a smaller extent than what is covered by the boundaries was intended to be sold, the rule of interpretation is that boundaries must prevail as against measurements.”

2- **Jagdish Prasad vs Mahendra pratap. Second Appeal No. 300 of 1997** उक्त विधिनिर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रतिपादित किया गया है कि:-

“If here be any conflict between the area and the boundary the boundary would prevail. There may be some mis-description or mis-measurement of the area but when for any land in addition to an area, boundary is also given, the boundary being identifiable, there may not be any difficulty to locate the land from the boundary.”

उपरोक्त दोनों विधि व्यवस्थाओं में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि क्षेत्रफल और चौहद्दी में अंतर होने पर की स्थिति में चौहद्दी को प्राथमिकता दी जाएगी।

किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य क्षेत्रफल से संबन्धित विवाद विद्यमान नहीं है, बल्कि उभयपक्ष के मध्य वादग्रस्त संपत्ति की संख्या का विवाद है। वादी के द्वारा दाखिल उपरोक्त विधिनिर्णयों में माननीय न्यायालय द्वारा क्षेत्रफल विवाद से संबंधित प्रकरणों के संबंध में अभिमत पारित किया गया है, जो प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न हैं।

20. जैसा कि विदित है कि **भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 101** के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। निश्चय ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को वाद स्वयं सिद्ध करना होता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गुरुमुख राम मदन बनाम भगवानदास मदन, AIR 1998 SC 2771** में अवधारित किया गया है कि—

"वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना चाहिए। उसे प्रतिवादी की असफलता के कारण स्वमेव सफल नहीं माना जायेगा। वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार वादी पर अधिक होता है। वादी को अपना वाद स्वयं के साक्ष्य और अभिकथनों के आधार पर साबित करना होता है न कि प्रतिवादीगण की त्रुटियों का लाभ लेकर।"

21. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **अनिल ऋषि बनाम गुरुबख्श सिंह, (2006) 5 SCC 558, के पैरा 10, 11 व 14** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि—

"अभिकथन साक्ष्य नहीं हैं। वादी को अपने साक्ष्य द्वारा सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी वादी की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है जिसके उपरांत ही धारा 102, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत सबूत का भार प्रतिवादी पर होगा। मात्र अपने अभिकथनों के आधार पर वादी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके प्रतिवादी के मध्य एक प्रत्यायी रिश्ता है।"

22. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषण व विवेचन के उपरांत न्यायालय का मत है कि वादी अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से विवादित सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल को साबित करने में असफल रहा है। अतः वाद बिन्दु संख्या-01 वादी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

#### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02—

23. वाद बिन्दु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन व न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?**

24. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक - 16.04.2012 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

#### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03—

25. वाद बिन्दु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधान से बाधित है ?**

26. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण मे अपने लिखित कथन कागज संख्या- 19 क की धारा-22 में यह कथन किया है कि वाद पत्र में जो तफसील दिया गया है वह गलत है और विवादित भूमि पहचान योग्य नहीं है।

27. यहाँ आदेश 7 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख आवश्यक होगा, जो निम्नरूपेण है-

*जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है – जहाँ वाद की विषय-वस्तु स्थावर संपत्ति है वहाँ वादपत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है और उस दशा में जहाँ ऐसी संपत्ति की पहचान भू-व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्याओं द्वारा की जा सकती है, वादपत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक विनिर्दिष्ट होंगे।*

28. उक्त वर्णित विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 3 सी०पी०सी० के संबन्ध में वादपत्र में वर्णित सम्पत्ति को देखा जाना होता है, जिसको सीमाओं या संख्याओं के द्वारा उसकी पहचान की जा सके। वादी द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नज़री में वादग्रस्त सम्पत्ति को संख्या से नहीं दर्शाया गया है एवं जहां तक सीमाओं का प्रश्न है, वादी द्वारा तफसील आराजियात में चौहद्दी पूरब मकान हारून मियाँ, पश्चिम जमीन प्रतिवादीगण एवं मकान उत्तर सेहन भूमि वादहू सड़क चरवा मनौरी मार्ग, दक्षिण बाग व मकान दूसरे दर्शाया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति को चौहद्दी द्वारा दर्शाया गया है।

29. अतः वाद-बिन्दु संख्या-03 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

#### निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04-

30. वाद बिन्दु संख्या-04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी प्रतिवादी से धारा-35 अ सी.पी.सी. के अन्तर्गत विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

31. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण मे अपने लिखित कथन कागज संख्या- 19 क की धारा-26 में यह कथन किया है कि प्रतिवादीगण धारा-35 अ सी०पी०सी० के अंतर्गत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं।

32. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। यहां धारा 35 ए सी.पी.सी. का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा-

#### **Section 35A C.P.C. :-**

#### Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defenses.

(1) If any suit or other proceedings 2[including an execution proceedings but 3[excluding an appeal or a revision]] any party objects to the claim of defence on the ground that the claim or defence or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and



if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, 4[if it so thinks fit] may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an Order for the payment the object or by the party by whom such claim or defence has been put forward, of cost by way of compensation.

(2) No Court shall make any such Order for the payment of an amount exceeding 5[three thousand rupees] or exceeding the limits of its pecuniary jurisdiction, whichever amount is less: Provided that where the pecuniary limits of the jurisdiction of any Court exercising the jurisdiction of a Court of Small Causes under the Provincial Small Cause Courts Act, 1887 (9 of 1887) 6[or under a corresponding law in force in 7[any part of India to which the said Act does not extend]] and not being a Court constituted 8[under such Act or law], are less than two hundred and fifty rupees, the High Court may empower such Court to award as costs under this section any amount not exceeding two hundred and fifty rupees and not exceeding those limits by more than one hundred rupees: Provided, further, that the High Court may limit the amount or class of Courts is empowered to award as costs under this Section.

(3) No person against whom an Order has been made under this section shall, by reason thereof, be exempted from any criminal liability in respect of any claim or defence made by him.

(4) The amount of any compensation awarded under this section in respect of a false or vexatious claim or defence shall be taken into account in any subsequent suit for damages or compensation in respect of such claim or defence.

**33.** उक्त धारा के अभिपठन से यह निष्कर्षित है कि यह न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह उक्त धारा के अंतर्गत पक्षकारों को कोई अनुतोष प्रदान करे अथवा नहीं। प्रत्येक निरस्तीकृत वाद झूठा व फ़र्जी ही नहीं होता। कई बार वादी अपने अधिकारों के लिये न्यायालय आता है और यदि वह मुकदमा हार जाता है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसका वाद झूठे व फ़र्जी तथ्यों पर आधारित था। प्रस्तुत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि वाद झूठे व फ़र्जी तथ्यों पर आधारित था।

34. तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-04 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05-

35. वाद बिन्दु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को पाने का अधिकारी है?

36. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष पर बल दिया गया है और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1 न्यायालय द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि वादी मुख्य अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को भी पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादी मुख्य अनुतोष को ही अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

37. इस प्रकार उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं० 1 पर दिए गए निष्कर्ष के पश्चात न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा वादी अपने किसी भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से उक्त अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं पाया गया है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

**-:आदेश:-**

38. प्रस्तुत मूल वाद संख्या-110/2004 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 24.02.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/  
त्वरित न्यायालय-II,  
कौशाम्बी

J.O. Code- UP3792

39. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 24.02.2023

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/  
त्वरित न्यायालय-II,  
कौशाम्बी

J.O. Code- UP3792